न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2022-052(GCMS2022-81)

ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति मेघवाल
निवासी गुडा विश्नोईयान, तहसील लूणी
जिला जोधपुर

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जोराराम पुत्र भंवरलाल
2. भेपाराम पुत्र भंवरलाल
3. राजूराम पुत्र भंवरलाल
4. भागीरथ पुत्र भंवरलाल
5. रणजीत पुत्र रूपाराम
6. नेताराम पुत्र मुकनाराम
7. भंवरलाल पुत्र रामूराम
8. बालकिशन पुत्र रूपाराम
9. मुकनाराम पुत्र रामूराम
10. देवाराम पुत्र रामूराम
    सभी जाति मेघवाल, निवासी गुडा विश्नोईयान
    तहसील लूणी, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार लूणी
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश 2022 न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी दिनांक 18 जनवरी राजस्व प्रकरण संख्या 9/2022 अनवान जोराराम व अन्य बनाम भंवरलाल आदि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी

नि र्ण य

दिनांक : 18 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 9/2022 जोराराम व अन्य बनाम भंवरलाल आदि में पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 मार्च 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने बाबत भी पेश किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 6 ने ग्राम गुडा विश्नोईयान स्थित आराजी खसरा संख्या 490/42 (वर्तमान खसरा संख्या 490) रकबा 04 बिस्वा गैरमुमकिन बाडा बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी 2022 को संस्थित किया जाकर वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के हक हिस्से तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. न्यायालय के समक्ष सद्भावनापूर्वक (with clean hands) नहीं आये है, उनके द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से बाबत घोषणा

अपील प्राधिकारी

की मांग की गयी है, मगर वादग्रस्त भूमि में उनका कितना हिस्सा किस प्रकार बनता है, यह प्रकट नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार रामूराम जी देहान्त के बाद राजस्व रिकार्ड में भंवरलाल, रूपाराम, मुकनाराम, देवाराम पिसरान रामुराम जाति मेघवाल साकिन देह के नाम दर्ज हुई, और कालान्तर में रूपाराम फौत होने पर म्युटेशन संख्या 2596 दिनांक 05 फरवरी 2021 रूपाराम के हिस्से बाबत दाखुदेवी पत्नी रूपाराम, पुखराज, रणजीत, बालकिशन पिसरान रूपाराम दर्ज करते हुए बकाया खाता बदस्तूर रखा गया। रामुराम के उक्त चार पुत्रों में से भंवरलाल, मुकनाराम, देवाराम पिसरान रामुराम द्वारा आम मुख्त्यार हनुमानराम पुत्र भागीरथराम के जरिये उक्त भूमि में से 03 बिस्वा भूमि का बेचान अपीलाण्ट ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल मेघवाल के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 04 जनवरी 2022 को किया जा चुका है। उक्त बेचान के बाद प्रार्थीगण-रेस्पो. ने विचारण न्यायालय में आलौच्य प्रकरण प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन बाडा होने से प्रकरण राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं रहता है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न प्रकरणों में समय-समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त की अनदेखी करते हुए रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में गम्भीर विधिक त्रुटि की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने के पूर्व ही मूल्यवान प्रतिफल चुकाकर वादग्रस्त भूमि में से 03 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 04 जनवरी 2022 कय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट वादग्रस्त आराजी से हितबद्ध एवं अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित

पक्षकार होने से आलौच्य अपील प्रस्तुत करने का मुश्तहक है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील के साथ प्रस्तुत पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 04 जनवरी 2022 की छायाप्रति के अवलोकन से अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी में से 03 बिस्वा भूमि कय किया जाना प्रकट होता है। अतः वादग्रस्त आराजी में अपीलाण्ट से हित निहित होने एवं अपीलाधीन आदेश से अपीलाण्ट प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है और अपीलाण्ट को आलौच्य अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 03 बिस्वा भूमि विचारण न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने के पूर्व ही दिनांक 04 जनवरी 2022 को कय कर लिया जाना प्रतीत होता है। मगर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किये बिना एवं अन्य अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन इकतरफा आदेश दिनांक 18 जनवरी 2022 को पारित किया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन परिप्रेक्ष्य में आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन इकतरफा अंतरिम आदेश दिनांक 18 जनवरी 2022 अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस

अधिकारी

निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में अपीलाण्ट को पक्षकार संयोजित किया जावे और उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर मूल स्थगन प्रार्थनापत्र का विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर